



2026:AHC:53398

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3531 वर्ष 2026

रामधनी सिंहयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अमन पटेल, महिमा पटेल, नीरज सिंह यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज सिंह यादव और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार शुक्ला को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता [आदेश] निरस्त करने की मांग करता है, हालांकि, उसके अनुसार, उसे अक्टूबर, 2023 से अक्टूबर, 2024 तक का बकाया (अरियर्स) 9% ब्याज के साथ भुगतान नहीं किया गया है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय चतुर्थ प्रतिवादी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा।
4. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ता को निर्देशित करते हुए यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है कि वह रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन 27.03.2026 तक चतुर्थ प्रतिवादी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, चतुर्थ प्रतिवादी दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेंगे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(विकास बुधवार, जे.)

मार्च 16, 2026

राजेश

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।